न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/15/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/32

अपीलार्थी

श्री लीलाराम,
निवासी–चैम्बर नं.104, जिला अदालत,
सैक्टर नं.43, चण्डीगढ–160022

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: .23.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.02.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 17.12.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उप निबन्धक (भू.अ.) के पत्र क्र.नं. राम (भू.अ.)ई–3/प. 6(2)2021/31933 दिनांकः 28.11.22 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 13.01.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 271 दिनांकः 27.01.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी पत्र सं. 31933 दिनांकः 28.11.22 के **कार्यालय को प्राप्त नहीं होने** के कारण, पत्र सं. 3152 दिनांकः 28.12.2022 के माध्यम से सूचना आवेदन दिनांकः 17.12.2022 अस्वीकृत कर रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।
8. अतः वांछित सूचना संबंधी पत्र प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन कार्यालय को प्राप्त नहीं ही नहीं होने के कारण सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 14.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)